



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28042026-272110
CG-MH-E-28042026-272110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2043]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 2043]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

का.आ. 2116(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खंड(7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निचे दी गई सारणी के स्तम्भ(3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ(4), में उल्लेखित जिलो के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, के सन्दर्भ में नई खेड़ी से चिंतामन गणेश को जोड़ने वाली नई बीजी उच्चतर बायपास लाइन योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ(2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम सं	सक्षम अधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उच्चतर ग्रामीण	उच्चतर	उच्चतर

[फा. सं. ई-274540 -02]

धीरज कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण IV)

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2026

S.O. 2116(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorised the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazetted in respect of the Special Railway Project of “New BG Ujjain Bypass Line connecting Nai Khedi to Chintaman Ganesh. as a special Rail project for acquisition of land in the State of Madhya Pradesh relating to sub-Divisions mentioned in column (3) Districts mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

S. N.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Sub-Divisional Officer (Revenue), Ujjain Rural	Ujjain	Ujjain

[F. No. E-274540 -02]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer (Construction)-IV